

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग जयपुर के पत्रांक पं.7(1)शिक्षा-2/प्र.अ./व्या./प्रधानाचार्य/संशोधन/2016 दिनांक 05.12.16 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका पदस्थापन/समायोजन इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क.स.	नाम	कहाँ से (रामावि/ राबामावि)	Distt	कहाँ को(रामावि/ बामावि)	Distt
1	आशाराम मीणा	ऐचेरा से समदरा-कांमा, भरतपुर के आदेश पर	bharatpur	ऐचेरा-स0मा0	s.modhpur
2	राजूसम खदाव	बाडाकंला-जोधपुर	jodhpur	धनारीकंला-जोधपुर	jodhpur
3	मनोहरदास	धनारीकंला-जोधपुर	jodhpur	बाडाकंला-जोधपुर	jodhpur
4	रामप्रसाद चावला	श्यामपुरा-सांभरलेक, जयपुर	Jaipur	कल्याणपुरा-जयपुर	Jaipur
5	राकेश कुमार जैन	कल्याणपुर-जयपुर	Jaipur	श्यामपुरा-सांभरलेक, जयपुर	Jaipur
6	राजेश कुमार नेहरा	बिहारीपुर-दूदू, जयपुर के आदेश पर	Jaipur	कोरसिना-दूदू, जयपुर	Jaipur
7	मूलाराम	भंवरिया-बाडमेर	barmer	नेतराड-बाडमेर	barmer
8	विनोद कुमार रोहिला	बा0 केलवा	rajsamand	रनावडा	udaipur

इन्हे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 20.12.16 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना है क.स.04 एवं 8 को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण में दर्ज करना सुनिश्चित करें। राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम (RVRES) में नियुक्त अधिकारी शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कर सकेंगे। साथ ही प्रोबेशनरी प्रधानाध्यापक (जिन्हे दो वर्ष पूर्ण नहीं हुवें)पर उक्त स्थानान्तरण आदेश प्रभावी नहीं होंगे।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/स्था-समा/2016-17

दिनांक:- 10/12/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

१. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प.7(1)शिक्षा-2/ प्र.अ./व्या./प्रधानाचार्य/संशोधन/2016 जयपुर दिनांक 5.12.16 के क्रम में निवेदन है कि क.स. 4.14.16 एवं 18 को हटाकर स्थानान्तरित किया जा रहा है। अतः उपरोक्त स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध काल में किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करावाने की व्यवस्था करावें।

3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर


4 संबंधित उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)

5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-I/II/विधि)

6 संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

7 संबंधित कार्मिक

8 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)